उच्च न्यायालय उत्तराचंल, नैनीताल।

दाण्डिक अपील संख्या 250 सन् 2002

प्रवेश तिवारी पुत्र श्री गोकरन तिवारी
निवासी ग्राम घिरोली, थाना देहात,
जिला सुलतानपुर उ० प्र०

.....अपीलार्थी।

बनाम्

उत्तराचंल राज्य .....प्रत्यर्थी।

श्री राजीव शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री एच०सी० पाण्डेय, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय का दिनांकः 09.07.2004

<u>निर्णय (द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन)</u>

अपीलार्थी उपरोक्त को सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर ने निर्णय दिनांक 6–9–2002 द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 392 भारतीय दण्ड विधान एवं आरोप अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम का दोषी पाकर क्रमशः सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000–00 रुपये के अर्थदण्ड एवं 3 वर्ष से सश्रम कारावास एवं 1000–00 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रति एक हजार रुपये के अर्थदण्ड के लिए एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। अपीलार्थी के विरुद्व आरोप अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड विधान भी विरचित किया गया था, लेकिन वह उक्त आरोप का दोषी नहीं पाया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथन, जैसा कि लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–1) में उल्लिखित है, इस प्रकार है कि दिनांक 17–4–2001 को लगभग डेढ बजे दिन जब परिवादी तनबीर सिद्धार्थ, शाखा प्रबन्धक, बैंक औफ बडौदा, शाखा विजयपुर एव श्री हयातसिंह हेड कैशियर बैंक में नकदी बन्द करने का कार्य कर रहे थे तो एकाएक दो युवकों ने बैंक में प्रवेश किया एवं किसी बहादुरसिंह के बिषय में पूछताछ करने लगे जब परिवादी ने बहदुरसिंह के बिषय में कोई जानकारी न होने की बात कही तो तुरन्त दोनों युवकों ने मौका देखकर रिवाल्वर निकाल ली और नकदी उन्हें सौपनें की हिदायत देने लगे। जब श्री हयातसिंह कैशियर ने थोडी देर लगायी तो दोनों युवको ने रिवाल्वरों को उनके माथो पर लगा दी और जान से मारने की घमकी देने लगे। अन्ततः बैंक का समस्त नकदी जो कि 50,551–00 रुपये था, उन्हें सौपना पडा। नकदी लेकर जैसे ही दोनों युवक बाहर निकले तो परिवादी एवॅ कैशियर ने जोर से आवाज लगाना शुरु कर दिया ताकि सब लोगों को

वरदात की जानकरी हो जाये। उनका एक साथी जो रोड पर था वह भी इन लोगों के साथ भाग गया। तीनों ब्यक्तियें ने फायर करने की धमकी दी एवं एक ने जान से मारने की नियत से फायर भी कर दिया। उक्त सभी लोग गडवासरमोली की ओर भागने लगें तथा उनमें से एक झाडी और तार में उलझ कर गिर पडा तथा परिवादी व जनता के लोगों ने उनके पीछे भाग कर गिरे हुए ब्यक्ति को दबोज लिया। उस ब्यक्ति के पास एक तमचां मिला जिसमें खोखा कारतूस पाया गया। जनता ने आक्रोश में आकर उक्त पकडे हुये ब्यक्ति की पिटाई भी की तथा उसने पूछने पर अपना नाम प्रवेश तिवारी बताया तथा अन्य दो ब्यक्ति फायर करते हुये भाग गये। अभियोजन पक्ष के अनुसार उक्त पकडे हुये ब्यक्ति से पकडा गया तमचां मय कारतूस सुपरवाइजर कानूनगों बागेश्वर को सुपुर्द किया गया।

3— इस घटना की प्रारम्भिक विवेचना श्री मोहन सिंह नयाल (पी०डबलू०8) प्रभारी सुपरवाइजर कानूनगों व्दारा प्रारम्भ की गई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क—1) के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क—3) अंकित की गई तथा अभियुक्त प्रवेश तिवारी के विरुद्ध धारा 392, 307, 452, भा० द०वि० एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनाधिकारी ने गिरफतार अभियुक्त प्रवेश तिवारी की जामा तलाशी ली लेकिन कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी तथा फर्द जामा तलाशी (प्रदर्श क—4) तैयार की तथा अभियुक्त को मय तमचां सम्बन्धित थाने में दाखिल किया जिसकी फर्द दााखिला प्रदर्श क—5 तैयार की। चूँकि गिरफतारी के समय अभियुक्त के शरीर पर चोटें आई थी इसलिए उसका डाक्टरी परीक्षण डा० एस०राम(पी0डबलू0 6) व्दारा दिनरांक 18—4—2001 को 12—30 बजे दिन मे किया गया। विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके मानचित्र (प्रदर्श क—7) तैयार किया। तत्पश्चात विवेचना राजस्व पुलिस से लेकर सिविल पुलिस कें उप निरीक्षक सुन्दर लाल सुमन को सौंपी गई जिसने दिनांक 5—7—2001 को अभियोग चलाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट बागेश्वर से अनुमति प्राप्त करके आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट प्रेषित किया जो प्रदर्श क—9 पत्रावली पर है। प्रदर्श क—8 अभियोग चलोन के स्वीकृति पत्र को अन्तिम विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक सुन्दर लाल सुमन (साक्षी सं09) व्दारा साबित किया गया। इस साक्षी ने विवेचना पूर्ण करके अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क—11 अन्तर्गत धारा 452, 307, 392 भा0द0वि0 दिनांक 14—7—2001 को प्रेषित किया

5— अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सम्पुष्ट करने हेतु कुल 9 साक्षी प्रस्तुत किये हैं जिनमें से साक्षी सं0 1, तनबीर सिद्धार्थ परिवादी हैं। साक्षी सं02, हयातसिंह कैशियर हैं। साक्षी सं0 3, नवीन चन्द पंत, साक्षी सं0 4, दरवानसिंह, साक्षी सं0 5, गोबिदंसिंह एवं साक्षी सं0 7, आनन्दसिंह ने परिवादी व अन्य बैंक कर्मियों के शोर पर अपीलार्थी को पकडा था। साक्षी सं0 6, डा0 एस0राम ने अभियुक्त का डाक्टरी परीक्षण किया था तथा मेडिकल प्रमाण पत्र, प्रदर्श क—2 तैयार किया। साक्षी सं0 8, मोहन सिंह नयाल ने घटना की प्रारम्भिक विवेचना की तथा साक्षी सं0 9, सुन्दर लाल सुमन अन्तिम रूप से विवेचना कर अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

6— अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अपीलार्थी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अभियोजन पक्ष के आरोपो को निराधार बताया और यह अभिवचन किया कि वह बागेश्वर कस्बे में फेरी के व्दारा अपना जीविकोपार्वजन करता था और उसे पुलिस ने पकडकर मारा—पीटा और शक के आधार पर मुकदमें में झूठा फॅसाया।

7— विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के व्दारा प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्म सम्परीक्षण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी प्रवेश तिवारी उन तीन लुटेरों में एक है जिसने सशस्त्र होते हुये बैंक से लूट की और घटनास्थल के समीप ही मय अवैध आग्नेयशस्त्र एवं कारतूस के पकडा गया तथा अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 392 भा0द0वि0 एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट सन्देह से परे सिद्ध हुआ। तद्नुसार अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुये उसे उक्त वर्णित दण्ड से दण्डित करते हुए समेकित सत्र परीक्षण सं0 26 सन् 2001 अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं सत्र परीक्षण सं0 27 सन् 2001 अन्तर्गत धारा 392, 307, 452 भा0द0वि0 का विधिनुसार विचारण किया। जैसे कि उपर उल्लिखित किया गया है अपलार्थी के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 307 भा0 द0 वि0 का सिद्ध होना नहीं पाया गया और उसे इस आरोप से निर्मुक्त किया गया।

8— इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उनके व्दारा सत्र न्यायाधीश के उक्त निर्णय का प्रस्तुतीकरण करते हुये परिशीलन कर मामले में अर्न्तग्रस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

9— अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि घटनास्थल के दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों तनबीर सिद्धार्थ (साक्षी सं01) एवं हयात सिंह (साक्षी सं0 2) की साक्ष्य इस आधार पर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती कि लुटेरों के आगमन एवं किया—कलापों के बाबजूद भी सुरक्षा अलार्म का प्रयोग नहीं किया

गया और कथित लुटेरों व्दारा पर्याप्त धनराशि लूट कर ले जाने के पश्चात भी प्रतिक्रियास्वरूप पुनः ऐसा न किया जाना भी ऐसे ही निष्कर्ष इन साक्षियों के संबध में निकालने के बाध्य करता है। दोनों साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवलोकन करने के पश्चात मेरे अभिमत में इस तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि घटना का होना इन दोनों साक्षियों के लिये अप्रत्याशित था और ऐसी स्थिति में कोई भी ब्यक्ति असमंजस्य की स्थित में तुरन्त सुरक्षा अलार्म का समुचित प्रयोग करना भूल ही नहीं सकता वरन लुटेरों के पास शस्त्र होने की स्थिति में अपने जीवन की रक्षा की ओर आंशकित होने के कारण ऐसी व्यवस्था का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझेगा। दोनों शस्त्रधारी लुटेरे अचानक बैंक में पहुॅचे और जैसा कि साक्ष्य में आया है उनमें से एक ने एक अपरिचित ब्यक्ति के संबध में शााखा प्रबन्धक साक्षी सं0 1, से जानकारी लेने का बहाना करके कैशियर साक्षी सं0 2 के उपर रिवालवर रख दिया था और निश्चय ही इन साक्षीगण के जीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में सुरक्षा अलार्म का प्रयोग किया जाना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य को शंका की दृष्टि से देखने का कोई औचित्य नहीं है।

10— दोनों साक्षियों की प्रति परीक्षा में ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया जो कि यह दर्शित करे कि उन्होंने सत्य कथन नहीं किया है। प्रति परीक्षा में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभाष एवं त्रुटि भी विद्वान अधिवक्ता व्दारा दर्शित नहीं की गई जो इस हेतु उदाहरणीय हो कि इनकी सत्यता पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाती हो अथवा यह साक्षीगण अविश्वसनीय दर्शित हों।

11— दोनों लुटेरे साक्षियों से नकद रुपये लूटने में सफल रहे और बैंक से फरार होते हुये अपने एक अन्य साथी जो बैकं से बाहर उनकी प्रतीक्षा में था फायर करते हुये घटनास्थल से भागने लगे लेकन तत्काल इन दोनो साक्षियों के व्दारा आस—पास के लोगों को शोर मचाकर सचेत किये जाने पर एक लुटेरे को शसस्त्र घटनास्थल के पास से ही पकड लिया गया और वह व्यक्ति अपीलार्थी प्रवेश तिवारी था जिसे तदोपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर राजस्व पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

12— उक्त गिरफतारी से सम्बधित साक्ष्य घटनास्थल के समीप के दुकानदार नवीन चन्द्र पन्त (साक्षी सं03) एवं दर्वान सिंह (साक्षी सं0 4) व्दारा की गई। इन दोनों साक्षियों की साक्षी भी अत्यन्त स्वाभाविक एवं तथ्यपरक है क्योंकि इन्होंने इस बात को दोहराया कि उनके व्दारा इस ब्यक्ति व उसके साथियों को बैंक में लूट करते नहीं देखा गया लेकिन घटना के तुरन्त बाद ही जब बैंक के शाखा प्रबन्धक एवं कैशियर के व्दारा शोर किया गया तो इन्होंने तीन लुटेरों का पीछा किया जिनमें से अपीलार्थी को पास के चाय बाग से गिरफतार किया गया। जब

अपीलार्थी को पकडा गया तो उसके पास से रिवाल्वर व उसमें रखा खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। यह दोनों जनता के साक्षी वास्तव में अभियोजन की सफलता में किसी प्रकार की विशेष रुचि नहीं रखते ओर इस प्रकार से वे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र साक्षी की कोटि में आते हैं और इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इन साक्षियों की साक्ष्य में पूर्ण विश्वास प्रकट करने में भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी इन दोनों की प्रति परीक्षा में भी कोई अनियमितता अथवा ऐसे कथन जो उनका किसी प्रकार की मामले में रुचि अथवा पुलिस के दबाव में रहने का परिचय दें, दर्शित नहीं कर सके अतएव ऐसा कोई भी कारण परिलक्षित नहीं होता जो इन दोनों की साक्ष्य को नकारने के लिये बाध्य करे। अभियोजन कथन की सत्यता एवं इसके तथ्यात्मक निरन्तरता का परिचय चिकित्सीय साक्ष्य से भी मिलता है क्योंकि यह स्वाभाविक था कि बैंक को लूटकर भागने वाले व्यक्ति को पकडने में आस पास के ब्यक्तियों के व्दारा उसकी पिटाई जब उस स्थल पर की गई हो ओर उसका चिकित्सीय परीक्षण सरकारी चिकित्सालय में किया गया हो। ऐसा साक्ष्य चिकित्साधिकारी श्री एस0 राम (साक्षी सं06) ने देते हुये क्षति रिपोर्ट प्रदर्श क–2 साबित की है और इस बात की पुष्टि की कि अपीलार्थी के शरीर पर चोटें दिनांक 17–4–2001 अर्थात घटना के दिन, दिन के समय आनी सम्भव थी। यह सम्पुष्ट तथ्य इस बात का द्योतक है कि अपीलार्थी को घटना के तुरन्त बाद, घटनास्थल के समीप से मारपीट कर पकड लिया गया था तथा ऐसी कोई सम्भावना नहीं कि अपीलार्थी को अन्य किसी स्थान से बाद में पकडने पर राज्सव पुलिस के हवाले कर दिया गया हो।

12– घटना से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्परता के साथ 3.00 बजे दिनांक 17–4–2001 को ही पंजीकृत करा दी गई थी और यह वस्तुस्थिति भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिकथन की सत्यता की परिचायक ही नहीं वरन यह अभियेाजन कथन एवं साक्ष्य को सम्पूर्ण सर्मथन प्रदान करेन की भी प्रलेखीय साक्ष्य है।

13– उपरोक्त विवेचन एवं सम्परीक्षण के आधार पर मैं इस अभिमत का हूॅ कि विद्वान अधिवक्त अपीलार्थी, विद्वान सत्र न्यायाधीश के उक्त निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि दर्शाने में असफल रहे। अन्य शब्दों में साक्षी के सूक्ष्म सम्परीक्षण के उपरान्त मै भी इस निष्कर्ष का हूॅ कि अभियोजन प्क्ष व्दारा प्रस्तुत साक्ष्य से अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 392 भा0द0वि0 एवं अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट सन्देह से परे सिद्ध हुये और अपीलार्थी को सही तौरे पर उक्त निर्णय व्दारा आरोपों का दोषी ठहराया गया।

14— चूँकि यह मामला शसस्त्र लूट का है अतएव पारित दण्ड भी विधिक दृष्टि से उचित है ओर उसमें भी किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

15— उक्त अपील निरस्त की जाती है तथा विद्वान सत्र न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 6. 9. 2002 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी सजा भोगने हेतु पूर्व से ही जेल में है।

(इरशाद हुसैन, न्या०)

बिष्ट